

**न्यायालय: श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-873/2012  
 संस्थित दिनांक-02.11.2012  
 फाइलिंग क्र. 234503000502012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियोजन**

**// विरुद्ध //**

सरसताबाई पति रामप्रसाद, उम्र-40 वर्ष,  
 निवासी-ग्राम हेटीटोला भण्डेरी, थाना बैहर,  
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- **आरोपी**

**// निर्णय //**

**(आज दिनांक-16/12/2016 को घोषित)**

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 324 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-03.09.2012 को 22:00 बजे थाना बैहर क्षेत्रांतर्गत ग्राम भण्डेरी में फरियादी विमलाबाई को लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, आहत विमलाबाई को लोहे की राड से पीठ पर मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की, आहत अनिताबाई को दांत से कलाई में काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-04.09.2012 को फरियादी विमलाबाई ने थाना बैहर आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम हेटीटोला भण्डेरी रहती है। दिनांक-03.09.2012 को रात्रि 10:00 बजे वह पेशाब करने के लिए निकली थी तो उसके पड़ोस की सरसताबाई उसे छिनाल, भोसड़ी, तू सोदाहा पापी है, जादू टोना करती है कहकर मों-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगी और उसे लोहे की राँड से पीठ पर मार दिया, जिससे वह जमीन में गिर गई। फरियादी की लड़की अनिताबाई ने बीच-बचाव किया तो सरसताबाई ने दांत से उसके दाहिने हाथ की कलाई में काट दिया। घटना के संबंध में उसने सरपंच और कोटवार को बताया था। फरियादी की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-129/12 अंतर्गत धारा-294, 323 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान फरियादी की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा साक्षियों

के कथन लिये गये। विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 का ईजाफा किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 324 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण चाहा है। आरोपी ने धारा धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने अपनी प्रतिरक्षा में बचाव में साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1— क्या आरोपी ने दिनांक-03.09.2012 को 22:00 बजे थाना बैहर क्षेत्रांतर्गत ग्राम भण्डेरी में फरियादी विमलाबाई को लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

2— क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत विमलाबाई को लोहे की राड से पीठ पर मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया ?

3— क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत अनिताबाई को दांत से कलाई में काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का निष्कर्ष :-

5— अभियोजन साक्षी विमलाबाई अ.सा.1 ने अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपी सरसताबाई द्वारा अश्लील गालियां दिये जाने के विषय में कोई कथन नहीं किया है। अभियोजन साक्षी अनिता अ.सा.2 ने कहा है कि आरोपी सरसताबाई के साथ उसकी माँ का विवाद हो रहा था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कहा है कि आरोपी ने उसकी माँ को गंदी-गंदी गालियां दी थी, जो उसे सुनने में बुरी लगी थी। अभियोजन साक्षी देवीलाल अ.सा.3 ने अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को अश्लील गालियां दिए जाने के विषय में कोई कथन नहीं किया है। पमेश अ.सा.7 ने कहा है कि उसे घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है। मौके पर उपस्थित अभियोजन साक्षी अनिता अ.सा.2, पमेश अ.सा.7 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में ऐसा कोई कथन नहीं किया है, जिससे कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा अश्लील गालियां दी जाकर फरियादी को अथवा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था। शेष अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

**विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 व 3 का निष्कर्ष :-**

6— सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7— अभियोजन साक्षी विमलाबाई अ.सा.1 ने कहा है कि वह आरोपी सरसताबाई को जानती है। घटना उसके बयान देने के तीन वर्ष पूर्व रात्रि 10:00 बजे की है। उसके पति से उसका विवाद हुआ था तो उसके पति ने सरसताबाई को बोला कि तू जा मार, तब सरसताबाई ने उसे सब्बल से मारा था। उसकी पुत्री अनिताबाई ने बीच-बचाव किया था। घटना के बाद वह कोटवार के पास गई थी और पुलिस थाना बैहर आकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके अंगूठा निशान हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसने अंगूठा लगाया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने गांव के सभी लोगों को रात में ही घटना के बारे में बताया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह ग्राम कोटवार के यहां गई थी और सलाह मशवरा किया था। कोटवार ने उसे सलाह दी थी कि वह घटना की रिपोर्ट दर्ज करा दें। साक्षी ने यह कहा है कि उसने पुलिस को आरोपी द्वारा सब्बल से मारने वाली बात बताई थी, यदि उसकी पुलिस रिपोर्ट में लोहे की रॉड से मारने की बात लिखी हो तो वह गलत है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने मारपीट के विषय में यह कथन किया है कि आरोपी ने उसे लोहे की रॉड से नहीं बल्कि लोहे की नुकीली सब्बल से मारी थी। यदि उसकी पुलिस रिपोर्ट और बयान में रॉड से मारने वाली बात लिखी हो तो वह गलत है। उसने अपने पुलिस बयान में सब्बल से ही मारने वाली बात बताई थी। साक्षी का स्वतः कथन है कि उसकी छाती में चार-पांच बार सब्बल की नोक से मारी थी और उसकी पीठ में भी पांच-छः बार खड़े सब्बल से मारी थी, जिससे उसे काफी गहरी चोटें आई थी और उसकी पीठ तथा छाती से लगातार खून बह रहा था। साक्षी ने घटना के विषय में विवरण अत्यन्त बढ़ा-चढ़ाकर अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रस्तुत किया है। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि उसके पति ने शराब पीकर आरोपी के घर का दरवाजा तोड़ा था, इसलिए उसने आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी है।

8— अभियोजन साक्षी अनिताबाई अ.सा.2 ने कहा है कि वह आरोपी व फरियादी विमलाबाई को जानती है। फरियादी विमलाबाई उसकी माँ हैं। आरोपी सरसताबाई ने उसकी माँ विमलाबाई को पीठ में सब्बल मारा था। घटना के बाद वह अपनी माँ के साथ ग्राम कोटवार के घर गई थी और ग्राम कोटवार के साथ जाकर पुलिस थाना बैहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने पुलिस को आरोपी सरसताबाई द्वारा सब्बल से मारने वाली बात बताई थी, परंतु यदि पुलिस ने रॉड से मारने वाली बात लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकती। साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी सरसताबाई ने उसके दाहिने हाथ की कलाई में नहीं काटा था। आरोपी सरसताबाई के

विरुद्ध आहत अनिताबाई को धारदार हथियार दांत से काटकर उपहति कारित करने का अभियोग है, परंतु प्रतिपरीक्षण में आहत अनिताबाई अ.सा.2 ने स्वयं यह कहा है कि आरोपी ने उसे दाहिने हाथ की कलाई में दांत से नहीं काटा। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसका पिता आरोपी के घर गया था और उसके साथ गाली-गलौज की थी।

9— अभियोजन साक्षी देवीलाल अ.सा.3 ने कहा है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके बयान देने के ढाई-तीन वर्ष पुरानी है। उसे फरियादी विमलाबाई ने बताया था कि आरोपी सरसताबाई ने उसे सबल से मारा है, जिससे उसे पसली में चोट आई थी। उसने विमलाबाई को कहा था कि घटना की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करा दे। उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी सरसताबाई ने सबल जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी ने दिनांक-03.09.2012 को आहत विमलाबाई के साथ सबल से मारपीट की थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपी ने आहत अनिताबाई की दाहिने हथेली में दांत से काटा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जब आहत विमलाबाई और निर्मलाबाई उसके घर आए थे, तब उनके शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि फरियादी उसके घर घटना के बाद आई थी और इस डर से की आरोपी, फरियादी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज न करा दे, इस बात का सलाह मशवरा किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि फरियादी के पति की मारपीट की बात से कहीं आरोपी द्वारा रिपोर्ट न कर दी जाए, यह सलाह मशवरा कर रिपोर्ट लिखाने के लिए सुबह तैयार हुआ था। साक्षी ने कहा है कि वह भी रिपोर्ट दर्ज करवाने थाना बैहर गया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिसवालों ने उससे जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 के कोरे कागज में हस्ताक्षर करवाए थे। उसने पुलिस के डर से कोरे कागजों में हस्ताक्षर कर दिया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आहत अनिताबाई ने आरोपी द्वारा उसके दाहिने हाथ की कलाई में दांत से काटने वाली बात नहीं बताई थी।

10— अभियोजन साक्षी जगू वाघाडे अ.सा.6 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-04.09.2012 को थाना बेहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। फरियादी विमलाबाई की सूचना पर आरोपी सरसताबाई के विरुद्ध अपराध क्रमांक-129/12, धारा-294, 323 भा.द.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख किया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा फरियादी विमला एवं अनिताबाई का मुलाहिजा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में कराया था, जो प्रदर्श पी-7 एवं प्रदर्श पी-8 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष



के इस सुझाव से इंकार किया कि उसने चिकित्सक से मिलकर विमलाबाई और अनिताबाई की झूठी रिपोर्ट तैयार कराई थी।

11— अभियोजन साक्षी राजिक सिद्दीकी अ.सा.5 का कहना है कि वह दिनांक-04.09.2012 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक-129/12 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर विवेचना के दौरान फरियादी विमलाबाई के बताये अनुसार मौके पर जाकर मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को फरियादी विमलाबाई, साक्षी साक्षी सतवंती धुर्वे, अनिताबाई, देवीलाल, पमेश के बयान उनके बताये अनुसार लेख किया था। उसने आरोपी सरसताबाई से एक लोहे की राड गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी सरसताबाई को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इंकार किया कि उसने घटनास्थल का मौकानक्शा थाने पर बैठकर अपने मन से बनाया था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि मौकानक्शा प्रदर्श पी-2, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 के दस्तावेजों में गवाहों के हस्ताक्षर कोरे कागजों में कराए थे। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि उसने गवाहों को उनके कथन पढ़कर नहीं सुनाए थे।

12— अभियोजन साक्षी डॉक्टर एन.एस. कुमारे अ.सा.4 ने कहा है कि वह दिनांक-04.09.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर के आरक्षक सालिकराम क्रमांक-181 द्वारा आहत विमलाबाई एवं आहत अनिताबाई को उसके समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया था। आहत विमलाबाई का परीक्षण करने पर पाया कि आहत की पीठ के दाहिने तरफ एक चोट थी, जो कि एब्रेजन (इम्प्रिंट) 3/1/2 इंच की जिसके अनियमित किनारे जो भूरा कालापन लिये हुए थी। आहत को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। साक्षी ने अपने अभिमत में कहा है कि आहत विमलाबाई को उसने एक्सरे की सलाह दी थी। आहत को आई चोट कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत विमलाबाई का एक्सरे प्लेट क्रमांक-473 है, जिसमें अस्थिभंग होना नहीं पाया था, एक्सरे रिपोर्ट आर्टिकल ए-1 है। आहत अनिताबाई का परीक्षण करने पर उसके शरीर पर एक चोट पाई थी, जो उसके दाहिने पंजे के बाहर तरफ थी, जो कि एब्रेजन था, संख्या में मल्टीपल था, जो एक चौथाई गुणा एक चौथाई थी, जो अर्धचंद्राकार गेप लिये हुए थी। आहत अनिताबाई को आई चोट मनुष्य के काटने से आना प्रतीत हो रही थी। आहत अनिताबाई के संबंध में परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि जब

आहत विमलाबाई को उसके समक्ष चिकित्सीय परीक्षण के लिए लाया गया था तो उसे मात्र एक ही चोट थी और शरीर पर खून के कोई निशान नहीं थे। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि आहत अनिताबाई को हाथ के बल के गिरने से चोट आई थी।

13— अभियोजन साक्षी पमेश अ.सा.7 ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने समर्थन नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना दिनांक को उसका ससुर उसकी सास से मारपीट कर रहा था, जिससे बचने के लिए वह घर के बाहर दौड़ी थी और उसका ससुर भी उसे पीटने के लिए दौड़ा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी सास आरोपी के घर घुस गई थी तो उसका ससुर भी पीछे-पीछे गया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी ने उसकी पत्नी के दाहिने हाथ में नहीं काटा था।

14— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323, 324 अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है कि उसने आहत विमलाबाई को लोहे की रॉड से स्वेच्छया उपहति कारित की थी। आहत अनिताबाई को दाहिने हाथ की कलाई में स्वेच्छया उपहति कारित की। सर्वप्रथम यदि विमलाबाई अ.सा.1 के प्रतिपरीक्षण पर विचार किया जावे तो उसके द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में संपूर्ण घटना को अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाना दर्शित है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 एवं 5 में साक्षी ने कहा है कि उसे पीठ व छाती से लगातार खून बह रहा था, जो सुबह तक लगातार बह रहा था। आहत विमलाबाई ने कहा है कि उसे आरोपी ने नुकीले सब्बल से मारा था। साक्षी ने कहा है कि उसे सब्बल से छाती में तीन-चार बार मारा था और पीठ में भी 5-6 बार मारा था, जिससे उसे काफी गहरी चोट आई थी, जबकि चिकित्सक साक्षी डॉक्टर एन.एस. कुमरे अ.सा.4 ने यह कहा है कि उसने आहत विमलाबाई को मात्र एक चोट एब्रेजन होना पाया था। आहत को आई चोट किसी कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार यदि किसी नुकीले सब्बल से चोट आहत को आई हो तो नुकीला सब्बल, धारदार प्रकृति का हथियार है, इसलिए अभियोजन साक्षी विमलाबाई के कथनों में प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज कराई गई सूचना में विरोधाभास प्रकट हो रहा है। साक्षी पमेश अ.सा.7 ने प्रतिपरीक्षण में यह कहा है कि घटना दिनांक को उसका ससुर उसकी सास विमलाबाई के साथ शराब पीकर मारपीट कर रहा था, जिससे बचने के लिए वह बाहर दौड़ी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी सास विमलाबाई आरोपी के घर में घुस गई थी।

15— अभियोजन साक्षी देवीलाल अ.सा.3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के बाद फरियादी विमलाबाई उसके घर आई थी और उसने यह सलाह दी थी कि आरोपी उनके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करा देगी, इसलिए वह आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने के लिए सहमत हुई थी। उपरोक्त स्थिति में यह संभावित है कि फरियादी विमलाबाई के पति द्वारा की गई मारपीट में उसे चोट आई हो और विवाद चूंकि आरोपी के

घर हुआ था, इसलिए आरोपी के विरुद्ध ही रिपोर्ट दर्ज करा दी गई हो। साक्षी विमलाबाई अ.सा.1 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-4 में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसकी पुत्री दांत से नहीं काटा था। उसकी पुत्री को हाथ के बल गिरने से हथेली पर चोट आई थी। साक्षी अनिताबाई अ.सा.2 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसके दाहिने हाथ की कलाई में दांत से नहीं काटा था। मुख्यपरीक्षण में साक्षी ने उक्त बात डर जाने के कारण बताई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-5 में यह कहा है कि पुलिस बयान में आरोपीगण द्वारा अश्लील गालियां देने, उसकी माँ के साथ लोहे की रॉड से मारने एवं आरोपी द्वारा उसके दाहिने हाथ की कलाई में काटने वाली बात लिखी हो तो वह गलत है। इस प्रकार साक्षी द्वारा अभियोजन कहानी के विपरीत कथन अपने प्रतिपरीक्षण में किया गया है।

16— अभियोजन साक्षी राजिक सिद्धकी अ.सा.5 एवं जग्गू वाघाड़े अ.सा.6 ने विवेचना में स्वयं द्वारा की गई कार्यवाही को न्यायालयीन परीक्षण में प्रमाणित किया है, परंतु घटना के महत्वपूर्ण साक्षी जो घटना के समय मौके पर उपस्थित थे। उनके परीक्षण-प्रतिपरीक्षण में महत्वपूर्ण विरोधाभास प्रकट होने से यह नहीं माना जा सकता कि आरोपी सरसताबाई ने आहत विमलाबाई के साथ स्वेच्छया लोहे की रॉड से मारपीट की थी। यह भी नहीं माना जा सकता कि उसने दांत से काटकर आहत अनिताबाई को उपहति कारित की थी। उपरोक्त स्थिति में आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 एवं 324 का अपराध किये जाने के तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323, 324 के अंतर्गत अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

17— प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रही है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

18— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437(क) के पालन में आज दिनांक से 06 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

19— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक लोहे की रॉड मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे, अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

**निर्णय खुले न्यायालय में घोषित  
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया  
गया।**

**मेरे निर्देश पर टंकित किया।**

(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)